उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़
आदेश पत्रक
विविध रिविजन वाद संख्या – 02/2015
अमर लाल महतो बनाम् अजय कुमार ओझा

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
21-02-2018		

–: **आदेश** :–

अभिलेख उपस्थापित। विपक्षी पिछले कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध पर एक पक्षीये सुनवाई करते हुए, बहस सुना तथा अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।

विपक्षी द्वारा दिनांक 06.02.2016 को प्रत्युत्तर दाखिल किया गया है, परन्तु उक्त परिपेक्ष्य में किसी भी प्रकार का कागजात न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही विपक्षी द्वारा दिनांक 02.07.2016 से लगातार अनुपस्थित चले आ रहे हैं, जिससे प्रतित् होता है कि विपक्षी के पास प्रश्नगत् भूमि के बावत् वैद्यानिक दस्तावेज नहीं है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिक्ता का बहस सुना, उनके द्वारा अपने दावे के समर्थन मे प्रस्तुत कागजात एवं निम्न न्यायायल से प्राप्त अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि मौजा सेरेंगातु अर्न्तगत खाता नं0–28 सर्वे खतियान में जानकी तेली के नाम से दर्ज है। जानकी तेली के दो पुत्र भीखमंन तेली एवं तुलसी तेल उर्फ तुलसी भगत हुए, अपीलार्थी के दादा हरिदास महतो पिता प्रेमदास महातो को प्रश्नगत भूमि मौजा सेरेंगातु खाता नं0–28 कुल रकबा 2.20 एकड़ मध्ये रकबा 1.05$\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि निबंधित दस्तावेज सं0– 1301 दिनांक 23.03.1946 द्वारा मो0 कौशल्या देवी पति तुलसी तेली उर्फ तुलसी भगत से खरीदगी प्राप्त हैं, जिसकी जमाबन्दी अंचल कार्यालय में संधारित राजस्व पंजी में कायम होकर लगान रसिद निर्गत है। विपक्षी की माता देवन्ती देवी पति पंचानन ओझा को बिगु तेली पिता स्व0 भीखमंग तेली से केवाला सं0– 4088 दिनांक 07.09.1962 द्वारा मौजा सेरेंगातु खता नं0 28 रकबा 1.09 एकड़ भूमि खरीदगी प्राप्त है, जिसकी जमाबन्दी अंचल कार्यालय, गोला द्वारा पूर्व से चल रही जमाबन्दी रैयत हरिदास महतो की जमाबन्दी रकबा से घटाकर कायम की गई है, जो नियम के प्रतिकुल है। नियमानुसार बिक्रेता बिगु तेली के हिस्से की भूमि रकबा/जमाबन्दी रकबा से घटाकर क्रेता देवीन्ती देवी के नाम से नामान्तरण कर जमाबन्दी कायम किया जाना चाहिए था।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा विविध अपील वाद संख्या– 01/2014–2015 अमर लाल महतो बनाम् अजय कुमार ओझा में दिनांक 07.04.2015 को पारित आदेश से सहमत होनें का कोई ठोस आधार नहीं हैं, आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी का अपील आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है। प्रभावी पक्ष चाहे तो **स्वत्व निर्धारण** हेतु सक्षम न्यायालय जा सकते है। इसी मंतव्य के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

21/2/18

उपायुक्त,
रामगढ़।

21/2/18

उपायुक्त,
रामगढ़